**उत्तराखण्ड शासन**
**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2**
**संख्याः 539/XXVIII (2)/2017-17(नर्सिंग)/2013**
**देहरादूनः दिनांकः 22 सितम्बर, 2017**

## कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत राज्य में निजी क्षेत्र के असहायतित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु जस्टिस गुरमीत राम सिंह (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक–02.08.2017 की संस्तुति के अनुसार पूर्व में संस्थानों हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित किये गये शुल्क सम्बन्धित शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए, इस शर्त के साथ कि संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सम्बद्वता प्राप्त कर ली गई हो, का शुल्क अंतरिम रूप से समस्त निजी नर्सिंग संस्थानों में निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः–

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | शिक्षण शुल्क | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य कोटे की सीट | प्रबन्धकीय कोटे की सीट |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | ए0एन0एम0 | सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक | रू0 41,800/– प्रतिवर्ष | रू0 52800/– प्रतिवर्ष |
| 2. | जी0एन0एम0 | सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक | रू0 44,000/– प्रतिवर्ष | रू0 55,000/– प्रतिवर्ष |
| 3. | बी0एस0सी0 नर्सिंग | सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक | रू0 61,600/– प्रतिवर्ष | रू0 72,600/– प्रतिवर्ष |
| 4. | पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग | –– | –– | –– |
| 5. | एम0एस0सी0 नर्सिंग | –– | –– | –– |

**2–** निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई विकास शुल्क, भवन शुल्क या अन्य किसी नाम से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु संस्थान शुल्क के रूप में रू0 10,000/–(प्रथम वर्ष प्रवेश के समय), छात्रावास एवं मैस हेतु न लाभ न हानि (No prfit No loss) के सिद्वांत के आधार पर तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क छात्र–छात्राओं से वसूल कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

3— राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क ढांचा वर्तमान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4— निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओं से पाठ्यक्रम के पूर्व के वर्षों में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक लिये गये शुल्क को पाठ्यक्रम की शेष अवधि हेतु शुल्क में समायोजित किया जायेगा परन्तु कोई अवधि शेष न होने अथवा समायोजन के उपरान्त भी संस्थान द्वारा पूर्व में अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में शुल्क के आधिक्य को संस्थान द्वारा सम्बन्धित छात्र को वापस किया जाना होगा।

5— यदि संस्थान द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गयी है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को सम्बन्धित छात्र–छात्रा को वापस किया जाना अनिवार्य होगा।

6— उक्त निर्देशों का राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशों की अवहेलना करने पर कठोर दण्डात्मकं कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव

**संख्याः539 /XXVIII (2)/2017-17(नर्सिंग)/2013 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1. जस्टिस गुरमीत राम, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, 107—चन्दर नगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
6. समस्त निजी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून।
7. एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

c:/user/section/[illegible]/paramedical/U.O.letter.doc

Scanned by CamScanner

**उत्तराखण्ड शासन**
**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2**
**संख्या– 806/XXVIII(2)2017–17(नर्सिंग)2013**
**देहरादून : दिनांक–26 दिसम्बर, 2017**

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम), अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत जस्टिस गुरमीत राम (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 की संस्तुति के अनुसार राज्य के समस्त निजी नर्सिंग कालेजों के पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग तथा एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु शुल्क, इस शर्त के साथ कि संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु सम्बद्धता प्राप्त कर ली गयी हो, अंतरिम रूप से निम्नानुसार अथवा उक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु जो शुल्क वर्तमान में संस्थान द्वारा लिया जा रहा हो, में जो भी कम हो, निर्धारित किया जाता है:–

| क0 सं0 | पाठ्यक्रम | पाठ्यक्रम की अवधि | शिक्षण शुल्क (रू0) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | राज्य कोटे की सीट | प्रबन्धकीय कोटे की सीट |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग | सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक। | 61,600/– | 72,600/– |
| 2. | एम0एस0सी0 नर्सिंग | सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक। | 70,000/– | 75,000/– |

2– निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओं से उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक लिये गये शुल्क को पाठ्यक्रम की शेष अवधि हेतु शुल्क में समायोजित किया जायेगा, परन्तु कोई अवधि शेष न होने अथवा समायोजन के उपरान्त भी संस्थान द्वारा पूर्व में अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में शुल्क के आधिक्य को संस्थान द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को वापस किया जाना होगा।

3– राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क ढाँचा वर्तमान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है।

4– यदि संस्थान द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में छात्रों से प्राप्त की गयी है/की जाती है, तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को संस्थान द्वारा सम्बन्धित छात्रों को वापस किया जाना अनिवार्य होगा।

1623 4/1/18 for kind perusal ... Registrar ... UC Upload ...

Scanned by CamScanner

5– उक्त निर्देशों का राज्य के समस्त निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

**संख्या–806 /XXVIII(2)2017–17(नर्सिंग)2013 तद्‌दिनांक।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. जस्टिस गुरमीत राम (सेवानिवृत्त न्यायाधीश), अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टड एकाउन्टेंट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. कुल सचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टड एकाउन्टेंट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, देहरादून।
6. समस्त निजी नर्सिंग संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
O/C अनु सचिव

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-6

संख्याः 575/XXVIII(6)/2020-04(पैरा)/2019

देहरादूनः दिनांक 05 दिसम्बर, 2020

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान/नर्सिंग शिक्षण संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के लिये निदेशक चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव संख्या 1676 दिनांक 09.10.2020 एवं 1678 दिनांक 09.10.2020 को शासन के पत्र संख्या 515/XXVIII(6)/2020-04(para)/2019 दिनांक 28.10.2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया, जिसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.11.2020 को नोडल अधिकारी प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। किन्तु आई0एन0सी0 द्वारा नर्सिंग पाठयक्रमों में सत्र 2020-2021 में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 निर्धारित की गयी है तथा उक्त तिथि से पूर्व राज्य स्तरीय काउन्सलिंग की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी है।

उक्त क्रम में दिनांक 24.11.2020 को कुलपति हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय काउन्सलिंग की बोर्ड बैठक आहूत की गयी। जिसमें उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की आगामी बैठक की संस्तुति प्राप्त होने तक अथवा मात्र सत्र 2020-2021 हेतु उत्तराखण्ड राज्य स्थिति निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान/नर्सिंग शिक्षण संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों हेतु गत सत्र में उत्तराखण्ड प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को ही उन्ही प्रतिबन्धों के साथ यथावत् निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः विश्वविद्यालय काउन्सलिंग बोर्ड बैठक की संस्तुति के क्रम में शुल्क नियामक समिति की आगामी संस्तुति अथवा मात्र एक शिक्षा सत्र 2020-2021 हेतु निजी नर्सिंग पाठयक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क कार्यालय ज्ञाप संख्या 539/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 22.09.2017, संख्या 806/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 26.12.2017 एवं निजी पैरामेडिकल पाठयक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क कार्यालय ज्ञाप संख्या 652/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 01.11.2017 को उन्ही शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथावत् लागू किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

कृपया तदनुसार काउन्सलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

**(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)**

सचिव (प्र0)।

पृष्ठांकन संख्या 515/XXVIII(6)/ 2020-04(पैरा)/2019तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि**—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, 107—चन्दन नगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त निजी पैरामेडिकल / नर्सिंग संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून।
5. नोडल अधिकारी, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, दून विश्वविद्यालय कैम्पस देहरादून।
6. एन0आई0सी0 / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(सुरेन्द्र सिंह रावत)**
संयुक्त सचिव।